

## प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला:- चौकी ए.सी.बी. कोटा थाना.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर  
प्र.सूरि. संख्या ... 286 / 2022 दिनांक ..... 18/7/2022
2. (A) अधिनियम - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारायें - 13(1)(डी), 13(2)  
(B) अधिनियम - भारतीय दण्ड संहिता धाराये - 120 बी  
(C) अधिनियम..... धारायें.....  
(D) अन्य अधिनियम धारायें.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..... 336 समय..... 6.00 P.M.,  
(ब) अपराध घटने का दिन - दिनांक - 25.06.2018  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक - 20.09.2018
4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक ..... लिखित
5. घटना स्थल:- कोटा  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी -  
(ब) पता बीट संख्या ..... जरायम देही संख्या .....  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो .....  
पुलिस थाना..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :-  
(अ) नाम:- श्री दिनेश कुमार विजय  
(ब) पिता का नाम -  
(स) जन्म तिथि/वर्ष -  
(द) राष्ट्रीयता - भारतीय  
(य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि..... जारी होने की जगह.....  
(र) व्यवसाय-  
(ल) पता - श्याम नगर, कच्ची बस्ती, तीन बत्ती सर्किल के आगे, कोटा
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-  
(1) श्री सौभागमल मीणा पुत्र श्री सूरजमल मीणा निवासी डण्डोतिया की बाडी, तेल फेक्ट्री बांरा तत्कालीन महाप्रबंधक, कोटा क्य-विक्रय सहकारी समिति लि0 कोटा हाल सेवानिवृत्त  
(2) श्री श्यामलाल मीणा पुत्र रामफूल मीणा निवासी मकान नम्बर 37, गोपाल विहार प्रथम पुलिस लाईन, कोटा तत्कालीन प्रशासक, कोटा क्य-विक्रय सहकारी समिति लि0 कोटा  
(3) श्री कुलदीप सिंह बग्गा पुत्र मंगल सिंह निवासी 26-ए, न्यू कॉलोनी, गुमानपुरा कोटा प्रोपराईटर मैसर्स पूनम टेंट एण्ड लाईट हाउस गुमानपुरा कोटा
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :-
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य -
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-  
महोदय,

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि परिवादी श्री दिनेश कुमार विजय निवासी श्याम नगर कच्ची बस्ती तीन बत्ती सर्किल के आगे कोटा ने एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि - 1- इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में क्य-विक्रय सहकारी समिति कोटा की कीमतन 30 करोड रु की भूमि स्थित है, जो रीकों द्वारा दाल मिल/चावल मिल के उपयोग हेतु वर्षों पूर्व आवंटित की गई थी। समिति की चावल मिल बंद हो जाने के कारण उक्त भूमि वर्तमान में समिति के उपयोग में नहीं आ रही है। 2- झालावाड मेन रोड पर शापिंग मॉल एवं कोचिंग सेन्टर्स तथा बिग बाजार के पास स्थित होने के कारण इस भूमि पर कई उद्यमी नजरें गड़ाये हुए बैठे हैं और इनमें से कई लोगों ने उक्त भूमि को किराये पर लेने के लिए पाँच वर्षों में समिति में निर्वाचित संचालक मण्डल होने के कारण समिति के हित में किसी प्रकार के कब्जे आदि की आशंका को देखते हुए उक्त भूमि को किराये पर नहीं दिया गया। 3- इसी वर्ष समिति के संचालक मण्डल के स्थान पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार कोटा को क्य-विक्रय समिति का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। उप रजिस्ट्रार श्री सोभागमल मीणा के पास समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चार्ज था। 4- उक्त दोनों अधिकारियों ने मिलकर समिति की करोडों की जमीन को गुप-चुप तरीक से बिना टेण्डर आमंत्रित किए 10 लाख रु

की रिश्वत लेकर पूजा टेन्ट हाउस को मैरिज गार्डन के लिए मात्र एक लाख रुपये महिने मे 3 वर्ष के लिए किराये पर दे दिया। पूर्व मे कोल्ड स्टोरेज किराये पर देने से पूर्व रजिस्ट्रार महोदय की स्वीकृति जी गई थी, लेकिन इनमे रजिस्ट्रार महोदय की स्वीकृति भी नहीं ली गई है। 5- रीको से भू उपयोग परिवर्तन कराये बिना किराये पर देने से रीको ने समिति की करोड़ों की जमीन का आवंटन निरस्त करने का नोटिस दे दिया है। एक तरफ रीको आवंटन निरस्त करने पर आमादा है, दूसरी तरफ एग्रीमेंट निरस्त करने पर टेन्ट हाउस मालिक द्वारा समिति को कोर्ट मे घसीटने की धमकी दी जा रही है। 6- यह ओर भी मजेदार है कि समिति के प्रशासकीय प्रस्ताव मे 1 वर्ष के लिए किराये पर देना अंकित है लेकिन समिति के मुख्य कार्यकारी श्री सोभागमल मीणा ने फ्लूड लगाकर 1 वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष कर लिया। इसके पीछे समिति की भूमि पर अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा कराने का प्लान है जिसे गुपचुप लागू करने का प्रयास किया है। 7- किराये पर देने का कारण बताया है - समिति के सदस्यों के विवाह आदि आयोजनाओं मे काम लेना। लेकिन समिति के सदस्यों के उपयोग हेतु तो किसी बिचौलिए को किराये पर देने की आवश्यक ही नहीं थी। स्पष्ट है कि रिश्वत का मोटा खेल खोला गया है। 8- किरायेदार द्वारा उक्त परिसर को अपने अनुकूल बनाने के लिए समिति द्वारा पूर्व मे कराये गए स्थायी निर्माण को ध्वस्त कर लाखों रु का नुकसान कर दिया है।

9- उदयपुर होलसेल भण्डार के महाप्रबंधक रहते हुए श्री सोभागमल मीणा की कारगुजारियों के लिए इनके विरुद्ध ए.सी.बी. मे प्रकरण संख्या 145/2011 धारा 13(1)(सी)(डी)13(2) पी.सी. एक्ट व धारा 120 बी आई.पी.सी. तथा 3/7ई.सी.एक्ट दर्ज है, जिसकी अभियोजन स्वीकृति डीओपी मे लम्बित है इत्यादी। उक्त रिपोर्ट पर परिवाद संख्या 122/2016 दर्ज किया जाकर सत्यापन हेतु प्राप्त हुआ, जिसका सत्यापन श्री विवेक सोनी पुलिस निरीक्षक व मन पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया द्वारा किया गया।

परिवाद के सत्यापन के दौरान दी कोटा को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड नई धानमण्डी, कोटा से निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त किए गए -

1. औद्योगिक क्षेत्र रोड नम्बर-02 मे भूखण्ड संख्या 16बी क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर दिनांक 03.10.1970 का आवंटन पत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई।
2. दी कोटा को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड नई धानमण्डी, कोटा प्रशासकीय बैठक 09.03.3.2015 की नोटशीट की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। जिसमे अंकित है कि - "संस्था के महाप्रबंधक श्री श्याम लाल मीणा ने संस्था के राईस मिल परिसर स्थित खाली पडी भूमि को समिति के सदस्यों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, विवाह आदि कार्यों के लिए किराये पर दिया जाने से जहाँ तक एक ओर भूमि का उपयोग हो सकेगा तथा दूसरी ओर संस्था को आय भी हो सकेगी। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि संस्था इस हेतु टेन्ट हाउस/डकोरेशन एजेन्सियों से निविदाएं आमंत्रित कर शर्तें तैयार कर किराये पर दे देवे।"
3. कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कोटा के पत्र क्रमांक 903 दिनांक 09.03.2015 निविदा प्रकाशन संबंधी तथा दैनिक भास्कर मे छपी निविदा प्रकाशन की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई।
4. कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कोटा द्वारा जारी निविदा क्रमांक 1/2015 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की।
5. फर्म पूनम टेन्ट एण्ड लाईट हाउस कोटा, मैसर्स पूर्णिमा टेन्ट एण्ड लाईट हाउस कोटा, वंदना लाईट एण्ड टेंट हाउस गुमानपुरा कोटा द्वारा प्रस्तुत निविदा फार्म की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई।
6. चावल मिल परिसर मे रिक्त पडी भूमि के उपयोग के संबंध मे संधारित पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई।
7. दिनांक 01.03.2016 को पूनम टेन्ट हाउस द्वारा उक्त भूखण्ड के उपयोग मे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर वकील के जर्जे नोटिस दिया जाकर अनुबंध समाप्त किया गया की प्रमाणित प्रति।
8. पूनम टेन्ट हाउस द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश (दक्षिण) कोटा मे दायर वाद व स्थगन आदेश एवं निर्णय दिनांक 17.02.2017 की प्रमाणित प्रति।
9. समिति द्वारा न्यायालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कोटा मे दायर वाद व निर्णय दिनांक - 09.06.2016 की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गई।
10. पूनम टेन्ट एवं लाईट हाउस कोटा द्वारा दिनांक 09.06.2016 के निर्णय के विरुद्ध राजस्थान राज्य सहकारी न्यायाधिकरण जयपुर मे दायर वाद व स्थगन आदेश दिनांक 09.09.2016 की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गई।

11. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सोभागमल मीणा द्वारा मैसर्स पूनम टेन्ट हाउस कोटा को किराये पर दिए जाने हेतु समिति के लेखापाल को अधिकृत करने का पत्र व अनुबंध पत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई।

वरिष्ठ क्षेत्रिय प्रबंधक रीको लि. कोटा से निम्न सूचना/दस्तावेज प्राप्त किए गए -

1. दी कोटा को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड को इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड संख्या बी-16 व बी-19 का आवंटन आदेश व संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई।
2. भूखण्ड संख्या बी-16 का आवंटन राईस मिल व भूखण्ड संख्या बी-19 का आवंटन दाल मिल के लिए किया गया था तथा आवंटन के समय टाईटल औद्योगिक प्रयोजनार्थ होना बताया गया है।
3. रीको ने अवगत कराया है कि दी कोटा को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड को आवंटित भूखण्ड संख्या बी-16 व बी-19 को व्यावसायिक उपयोग में नहीं लिया सकता।

परिवाद की जांच के दौरान संकलित मौखिक साक्ष्य, सूचना/दस्तावेजों से निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं -

1. कोटा कय-विक्रय सहकारी समिति लि० कोटा का पंजीयन 17 दिसम्बर 1958 को हुआ था।
2. भूखण्ड संख्या बी-16 का आवंटन राईस मिल व भूखण्ड संख्या बी-19 का आवंटन दाल मिल के लिए किया गया था तथा आवंटन के समय टाईटल औद्योगिक प्रयोजनार्थ होना बताया गया है।
3. रीको ने अवगत कराया है कि दी कोटा को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड को आवंटित भूखण्ड संख्या बी-16 व बी-19 को व्यावसायिक उपयोग में नहीं लिया सकता।
4. कोटा कय-विक्रय सहकारी समिति लि० को रीको द्वारा भूखण्ड संख्या बी-19 क्षेत्रफल 8000 वर्ग मीटर 1971 में दाल मिल की स्थापना हेतु 99 वर्ष की लीज पर आवंटित हुआ था। दाल मिल 1978 में प्रारम्भ होकर वर्ष 1990-91 में बन्द हो गया था। इसी तरह कय विक्रय सहकारी समिति को रीको द्वारा 05.10.1970 में राईस मिल का संचालन करने हेतु इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में 8000 वर्ग मीटर का भूखण्ड क्रमांक 16-बी 99 वर्ष की लीज पर आवंटित हुआ था। संस्था के द्वारा वर्ष 1974-75 में उक्त भूखण्ड पर राईस मिल की स्थापना की गयी थी। क्षेत्र में धान का उत्पादन कम हो जाने से तथा संस्था को मिल संचालन में हानि होने से वर्ष 1981-82 में मिल को बन्द करना पडा। वर्ष 1993 में विभाग में भूमि भवन व मशीनरी के विक्रय की अनुमति प्राप्त हो जाने से वर्ष 1996 में मिल की मशीनें विक्रय कर दी गयी थी।
5. श्री श्याम लाल मीणा प्रशासक की अध्यक्षता में दिनांक 09.03.2015 को आयोजित प्रशासकीय बैठक में श्री सौभागमल मीणा तत्कालीन महाप्रबंधक, कोटा कय-विक्रय सहकारी समिति लि० कोटा द्वारा प्रस्ताव दिया कि - "राईस मिल परिसर स्थित खाली पडी भूमि को समिति के सदस्यों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, विवाह आदि कार्यों के लिए किराये पर दिए जाने से भूमि का उपयोग व संस्था को आय हो सकेगी।" इस प्रस्ताव पर एक वर्ष के लिए टेन्ट हाउस/ डेकोरेशन एजेन्सियों से निविदाएं आमंत्रित कर किराये पर देने का निर्णय लिया गया। उक्त बैठक संबंधी रजिस्टर पर श्री श्याम लाल मीणा प्रशासक व श्री सौभागमल मीणा महाप्रबंधक कुल दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं।
6. जनरल मैनेजर एवं प्रशासक द्वारा दिनांक 09.03.2015 को एक नोट शीट लिखवाई गई कि "संस्था की चावल मील परिसर में निर्मित पुराने गोदाम (मिल शेड) के सामने खाली जगह पडी हुई है, जिसे सदस्यों को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, विवाह आदि कार्यक्रमों हेतु टेन्ट हाउस वैवाहिक कार्यक्रम आयोजक एजेन्सिज को स्ववायर फीट मासिक/वार्षिक किराये की दर पर एक वर्ष के लिए लीज पर दिया जा सकता है। खाली पडी भूमि पर टेन्ट हाउसों से निविदाएं आमंत्रित करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत है।
7. यह कि उक्त टिप्पणी पर मार्केटिंग मैनेजर श्री सौभागमल मीणा ने दिनांक 09.03.2015 को ही यह लिखा कि "रिक्त पडे स्थान का सदस्यों के हित में उपयोग किया जा सकता है, जिससे संस्था को आय भी होगी। अतः निविदा के आधार पर कार्यवाही किया जाना उचित होगा और मार्केटिंग के प्रशासक श्री श्याम मीणा द्वारा दिनांक 09.03.2015 को ही यह जानते हुए कि रीको से भू उपयोग परिवर्तन करवाये बिना मैरिज गार्डन हेतु उक्त

भूखण्ड को किराये देना उनके क्षेत्राधिकार मे नहीं है, as proposed लिखकर स्वीकृति दे दी गई।

8. उक्त स्वीकृति के आधार पर मार्केटिंग के मैनेजर श्री शोभागमल मीणा द्वारा मार्केटिंग के सदस्यों को सामाजिक/सांस्कृतिक/विवाह आदि कार्यों के लिए उक्त स्थान को किराये पर उपलब्ध कराने के लिए टेन्ट हाउस आदि से एक वर्ष के लिए किराये पर देने हेतु दिनांक 09.03.2015 को दैनिक भास्कर मे निविदाएं आमंत्रित की गई।
9. निविदा खोलने के लिए किसी कमेटी के गठन का कोई आदेश जारी नहीं किया गया, लेकिन दिनांक 20.03.2015 को निविदा कमेटी एवं निविदा दाताओं के समक्ष निविदा खोला जाना नोट शीट के पेरा नम्बर 04 पर अंकित है।
10. कुल 6 व्यक्तियों के समक्ष निविदा खोला जाना अंकित है, जिसमे से कम संख्या 1 से 4 तक तो समिति के कर्मचारी है तथा कम संख्या 5 पर "श्री कुलदीप बग्गा" पूनम टेन्ट हाउस तथा कम संख्या 6 पर "श्री राघव बग्गा" पूर्णिमा टेन्ट का नाम अंकित है।
11. उपस्थित निविदा दाताओं मे से केवल दो के ही नाम अंकित किए गए है, जबकि पेराग्राफ के अन्त मे तीन निविदाओं का तुलनात्मक विवरण अंकित किया गया है तथा पेराग्राफ के अंत मे केवल चार कर्मचारियों के ही हस्ताक्षर है किसी निविदा दाता के हस्ताक्षर नहीं है।
12. निविदा फार्मों के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि 1- पूर्णिमा टेन्ट हाउस के प्रतिनिधि का नाम राघव बग्गा है, दर 6/रूपये प्रति स्क्वायर फीट है। 2- पूनम टेन्ट हाउस प्रोपराईटर का नाम कुलदीप बग्गा है, दर 9/रूपये प्रति स्क्वायर फीट है। 3- तीसरा निविदा फार्म वंदना लाईट एण्ड टेन्ट हाउस का है, जिसके साथ निविदा की शर्तों के मुताबिक 50000/का डी.डी. या चेक संलग्न नहीं है तथा फार्म भी अधूरा भरा हुआ है, प्रोपराईटर का नाम अंकित नहीं है, दर 5.40/रूपये प्रति स्क्वायर फीट है। निविदा खोलने की कमेटी के 6 व्यक्तियों मे भी वंदना टेन्ट के प्रोपराईटर का न तो नाम अंकित है और न ही नोट शीट पर कही हस्ताक्षर है।
13. आर्डरशीट के पेरा संख्या 4 के अंत मे "उक्त दरों पर negotiation करना उचित होगा" अंकित किया गया।
14. पैरा संख्या 5 मे जनरल मैनेजर श्री सौभागमल मीणा ने लिखा कि दिनांक 25.03.2015 को उक्त सभी पक्षकारों/निविदादाताओं को बुलावे।
15. दिनांक 25.03.2015 का आर्डरशीट पर negotiation संबंधी अंकन किया गया और उसकी शर्तों के अनुसार लीज की अवधि एक वर्ष से बढाकर तीन वर्ष करने की अनुमति दे दी गई। जबकी निविदा प्रकाशन एवं निविदा खोलने के बाद निविदा की शर्तों मे किसी भी प्रकार परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
16. फर्म पूनम टेन्ट एण्ड लाईट हाउस कोटा को तीन वर्ष के लिए प्रति माह 1.41 लाख रूपये प्रति माह किराये पर देने का निर्णय लिया गया। तथा दिनांक 31.03.15 को अनुबंध पत्र निष्पादित किया गया। अनुबंध की प्रमुख शर्तें निम्न प्रकार थी -
  1. भूखण्ड 16-बी की खाली पडी भूमि 100x150 कुल 15000स्क्वायर फीट भूमि किराये पर दी गई।
  2. लीज होल्डर 15000स्क्वायर फीट जगह के अलावा जो भी जगह उपयोग मे लेगा उसका उसी दर से 7 दिन पूर्व राशि जमा कराके जगह को काम मे ले सकेगा।
  3. अनुबंध अवधि निविदा मे एक वर्ष (01.04.2015 से 31.03.2016 तक) थी, जो फर्म द्वारा नेगोसिएशन पर तीन वर्ष (01.04.2015 से 31.03.2018 तक) किया गया।
  4. निविदादाता संस्था के सदस्यों को ही उक्त स्थल पर सुविधा उपलब्ध करवा सकेगा।
  5. निविदादाता परिसर स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं करवा सकेगा।
17. फर्म पूनम टेन्ट एण्ड लाईट हाउस कोटा को 15,000 स्क्वायर फीट की भूमि किराये पर दी गई थी, किन्तु फर्म द्वारा बिना कोई पूर्व शुल्क जमा कराये 32687 स्क्वायर फीट भूमि उपयोग मे ली गई, तथा परिसर मे चार कमरे पक्के व एक हॉल निर्मित कर लिया गया, संस्था मे आवागमन के लिए उपलब्ध पूर्व निर्मित दरवाजों के अतिरिक्त परिसर की झालावाड रोड की बाउड्रीवाल तोडकर दो बडे-बडे दरवाजे 13-13 फीट के एवं एक दरवाजा 9 फीट का अनाधिकृत रूप से बना लिया।
18. दिनांक 01.03.2016 को पूनम टेन्ट हाउस द्वारा उक्त भूखण्ड के उपयोग मे अनुबंध की उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर वकील के जर्ये नोटिस दिया जाकर अनुबंध समाप्त किया गया।

19. रीको द्वारा दी कोटा को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड को दिनांक 06.04.2016 को नोटिस दिया गया तथा दिनांक 09.12.2016 के द्वारा भूखण्ड संख्या 16-बी पर मेरिज गार्डन का संचालन करने के कारण रीको द्वारा भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया गया।
20. दी कोटा को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड द्वारा अनुबंध समाप्त किए जाने के विरुद्ध पूनम टेन्ट हाउस द्वारा सिविल न्यायाधीश (दक्षिण) कोटा में वाद दायर किया गया था, जिस पर न्यायालय ने दिनांक 13.06.2016 को आगामी तारीख तक दोनों पक्षों द्वारा मौके की यथास्थिति बनाए रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। इसके पश्चात न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 17.02.2017 के द्वारा पेश वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय को नहीं होने के कारण वाद खारिज किया गया।
21. दी कोटा को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड द्वारा न्यायालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कोटा में वाद सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 58 के अन्तर्गत दायर किया गया, जिसमें दिनांक - 09.06.2016 को निर्णय दिया गया कि - "वादी संस्था द्वारा दिनांक 01.03.2016 से प्रतिवादी को नोटिस जारी कर राईस मिल परिसर को लीज पर दिए जाने संबंधी अनुबंध दिनांक 31.03.2015 को वादी द्वारा समाप्त करना उचित व वैध है।"
22. पूनम टेन्ट एवं लाईट हाउस कोटा द्वारा न्यायालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कोटा के निर्णय दिनांक 09.06.2016 के विरुद्ध स्थगन प्रार्थना पत्र (अपील) राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण जयपुर में वाद संख्या - 46/2016 दायर किया तथा न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 09.09.2016 द्वारा वादी पूनम टेन्ट एवं लाईट हाउस कोटा के पक्ष में निर्णय कर उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कोटा के निर्णय दिनांक 09.06.2016 पर स्थगन आदेश प्रदान किया गया।
23. राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण जयपुर द्वारा उक्त वाद पर निर्णय दिनांक 13.04.2018 द्वारा पूर्व आदेश अपास्त कर प्रकरण सुनवाई हेतु पुनः उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को प्रति प्रेषित किया गया। जिस पर उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां ने पुनः सुनवाई करते हुए निर्णय दिनांक 27.11.2018 द्वारा "पूनम टेन्ट एवं लाईट हाउस कोटा को परिसर शीघ्र खाली कर समस्त बकाया का चुकता करते हुए समिति को परिसर सुपुर्द करने के आदेश जारी किए।"
24. रीको कोटा द्वारा समिति के राईस मिल परिसर भूखण्ड संख्या 16-बी के निरस्त आवंटन को पुनः बहाल करने हेतु पत्र क्रमांक 5826 दिनांक 07.01.2017 से पुनरावलोकन याचिका वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक रीको कोटा में दायर की गई।
25. भूखण्ड बहाली हेतु कार्यलय रजिस्ट्रार सहकारी समितियों राजस्थान जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 07.02.2018 से प्रबन्ध निदेशक, रीको जयपुर को लिखा।
26. तदुपरांत भूखण्ड बहाली हेतु रेस्टोरेयान हेतु प्रथम अपील प्रबन्ध निदेशक रीको जयपुर को दिनांक 30.02.2017 को की गई जो दिनांक 24.05.2019 को खारिज हो गई।
27. द्वितीय अपील चेयरमेन रीको जयपुर को की गई परन्तु 12 मार्च/4 मई 2019 को उक्त अपील भी खारिज की गई।
28. वर्तमान में रीको की लैण्ड डिस्पोजल एक्ट की धारा 24(3) के अन्तर्गत वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक रीको कोटा को नियमानुसार भूखण्ड बहाली हेतु प्रार्थना पत्र रीको में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कार्यवाही जारी है। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियों राजस्थान जयपुर द्वारा संस्था के भूखण्ड बहाली के लिए पत्र लिखे हैं।
29. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक रीको द्वारा भूखण्ड रेस्टोर के संबंध में पत्रावली जयपुर प्रेषित की गई है, जिसके संबंध में कार्यवाही जारी है।

परिवाद के सत्यापन के दौरान प्राप्त उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर पाया गया है कि - कोटा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि० कोटा को रीको द्वारा 05.10.1970 में राईस मिल का संचालन करने हेतु इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में 8000 वर्ग मीटर का भूखण्ड क्रमांक 16-बी 99 वर्ष की लीज पर आवंटित हुआ था। संस्था के द्वारा वर्ष 1974-75 में उक्त भूखण्ड पर राईस मिल की स्थापना की गयी थी, क्षेत्र में धान का उत्पादन कम हो जाने से तथा संस्था को मिल संचालन में हानि होने से वर्ष 1981-82 में मिल को बन्द किया गया था।


श्री श्याम लाल मीणा, प्रशासक की अध्यक्षता में दिनांक 09.03.2015 को आयोजित प्रशासकीय बैठक में श्री सौभागमल मीणा तत्कालीन महाप्रबंधक, कोटा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि० कोटा द्वारा प्रस्ताव दिया कि - "राईस मिल परिसर स्थित खाली पडी भूमि को

समिति के सदस्यों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, विवाह आदि कार्यों के लिए किराये पर दिए जाने से भूमि का उपयोग व संस्था को आय हो सकेगी।" इस प्रस्ताव पर एक वर्ष के लिए टेन्ट हाउस/ डेकोरेशन एजेन्सियों से निविदाएं आमंत्रित कर किराये पर देने का निर्णय लिया गया। इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाकर, एक वर्ष के लिए टेन्ट हाउस/ डेकोरेशन एजेन्सियों से निविदाएं आमंत्रित कर दिनांक 25.03.15 को निविदादाताओं को नेगोशिएशन हेतु आमंत्रित किया तथा फर्म पूनम टेन्ट एण्ड लाईट हाउस कोटा को तीन वर्ष (01.04.2015 से 31.03.2018 तक) के लिए प्रति माह 1.41 लाख रुपये प्रति माह किराये पर दिया गया।

किराये पर दिए जाने के पश्चात फर्म पूनम टेन्ट एण्ड लाईट हाउस कोटा द्वारा समिति के सदस्यों/नोमिनल सदस्यों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, विवाह आदि कार्यक्रमों के लिए नहीं किया जाकर पूर्णतया व्यवसायिक रूप में आम जनता के लिए उपयोग में लाया गया। फर्म पूनम टेन्ट एण्ड लाईट हाउस कोटा को 15,000 स्क्वायर फीट की भूमि किराये पर दी गई थी, किन्तु फर्म द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर बिना कोई पूर्व शुल्क जमा कराये 32687 स्क्वायर फीट भूमि उपयोग में ली गई तथा परिसर में चार कमरे पक्के व एक हॉल निर्मित कर लिया गया, संस्था में आवागमन के लिए उपलब्ध पूर्व निर्मित दरवाजों के अतिरिक्त परिसर की झालावाड रोड की बाउंड्रीवाल तोड़कर दो बड़े-बड़े दरवाजे 13-13 फीट के एवं एक दरवाजा 9 फीट का अनाधिकृत रूप से बना लिया। उक्त भूखण्ड संख्या 16-बी पर मेरिज गार्डन का संचालन करने के कारण रीको द्वारा दिनांक 09.12.2016 को भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया गया तथा दिनांक 01.03.2016 को पूनम टेन्ट हाउस द्वारा उक्त भूखण्ड के उपयोग में अनुबंध की उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर वकील के जर्ये नोटिस दिया जाकर अनुबंध समाप्त किया गया। रीको द्वारा दिनांक 09.12.2016 को कोटा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि० कोटा को आवंटित भूखण्ड संख्या 16-बी पर मेरिज गार्डन का संचालन करने के कारण भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया गया।


इस प्रकार श्री सौभागमल मीणा तत्कालीन महाप्रबंधक तथा श्री श्यामलाल मीणा, तत्कालीन प्रशासक, कोटा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि० कोटा द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर कोटा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि० को रीको द्वारा आवंटित भूखण्ड संख्या संख्या 16-बी की आवंटन शर्तों का उल्लंघन कर नियमों के विरुद्ध भूखण्ड को श्री कुलदीप सिंह बग्गा पुत्र मंगल सिंह निवासी 26-ए, न्यू कॉलोनी, गुमानपुरा कोटा प्रोपराईटर मैसर्स पूनम टेन्ट एण्ड लाईट हाउस गुमानपुरा कोटा को मेरिज गार्डन का संचालन करने के लिए अनुबंध पर दिया जाकर लाभ पहुंचाया गया। फर्म पूनम टेन्ट एण्ड लाईट हाउस कोटा द्वारा 15,000 स्क्वायर फीट के स्थान पर बिना कोई पूर्व शुल्क जमा कराये 32687 स्क्वायर फीट भूमि उपयोग में ली गई, परिसर में चार कमरे पक्के व एक हॉल निर्मित कर लिया गया तथा संस्था में आवागमन के लिए उपलब्ध पूर्व निर्मित दरवाजों के अतिरिक्त परिसर की झालावाड रोड की बाउंड्रीवाल तोड़कर दो बड़े-बड़े दरवाजे 13-13 फीट के एवं एक दरवाजा 9 फीट का अनाधिकृत रूप से बना लिए गए। उक्त भूखण्ड पर मेरिज गार्डन संचालन को अवैध व आवंटन की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए रीको द्वारा भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया गया।

अतः आरोपीगण (1) श्री सौभागमल मीणा पुत्र श्री सूरजमल मीणा निवासी डण्डोतिया की बाडी, तेल फेक्ट्री बांरा तत्कालीन महाप्रबंधक, कोटा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि० कोटा हाल सेवानिवृत्त (2) श्री श्यामलाल मीणा पुत्र रामफूल मीणा निवासी मकान नम्बर 37, गोपाल विहार प्रथम पुलिस लाईन, कोटा तत्कालीन प्रशासक, कोटा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि० कोटा (3) श्री कुलदीप सिंह बग्गा पुत्र मंगल सिंह निवासी 26-ए, न्यू कॉलोनी, गुमानपुरा कोटा प्रोपराईटर मैसर्स पूनम टेन्ट एण्ड लाईट हाउस गुमानपुरा कोटा के विरुद्ध धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट 7 प्रतियों में प्रेषित है।

  
 (अजीत बमडोलिया)  
 पुलिस निरीक्षक  
 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा

## कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अजीत बगडोलिया, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 13(1) (डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री सौभागमल मीणा पुत्र श्री सूरजमल मीणा, निवासी डण्डोटिया की बाडी, तेल फेक्ट्री बारां, तत्कालीन महाप्रबंधक, कोटा क्रय-विक्रय सहकारी समिति, लिमिटेड, कोटा हाल सेवानिवृत्त 2. श्री श्यामलाल मीणा पुत्र रामफूल मीणा, निवासी मकान नं. 37, गोपाल विहार प्रथम, पुलिस लाईन कोटा, तत्कालीन प्रशासक, कोटा क्रय-विक्रय, सहकारी समिति लि. कोटा एवं 3. श्री कुलदीप सिंह बग्गा पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी 26-ए, न्यू कॉलोनी, गुमानपुरा कोटा प्रोपराईटर मैसर्स पूनम टेंट एण्ड लाईट हाउस गुमानपुरा, जिला कोटा के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 286/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

  
18.7.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

क्रमांक 2510-15 दिनांक 18.7.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
3. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
6. अति. पुलिस अधीक्षक-परि, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(परि.122/16)।

  
18.7.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर